न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 149/2017 G.C.M.S. No. 2017/00322 दर्ज दिनांक : 18.12.2017

अपीलार्थी:

1. चुन्नीलाल पुत्र खीमा, जाति मेघवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी फालना गांव, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृतक इन्दा पुत्र दला, जाति मेघवाल, निवासी फालना गांव के कायम मुकाम:–
   1/1 मोहनलाल पुत्र इन्दा
   1/2 समाराम पुत्र इन्दा
   1/3 मालाराम पुत्र इन्दा
   1/4 पोखरराम पुत्र इन्दा
   1/5 हिम्मताराम पुत्र इन्दा, समस्त जातिगण मेघवाल, निवासी फालना गांव, तहसील बाली व जिला पाली।
2. राजस्था सरकार जरिये तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं पदेन अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश दिनांक 17.05.1989 द्वारा ग्राम फालना गांव के खसरा संख्या 750 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि इन्दा पुत्र गला को आवंटित की गई एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति।

पैरोकार–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री महेन्द्रनारायण ओझा, हेमलता चौहान, श्री ए.पी. सुखाड़िया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 25.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी एवं पदेन अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश दिनांक 17.05.1989 द्वारा ग्राम फालना गांव के खसरा संख्या 750 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि इन्दा पुत्र गला को आवंटित करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में मौजा ग्राम फालना गांव पटवार क्षेत्र फालना गांव भू–अभिलेख निरीक्षक खुडाला, तहसील बाली की सरहद में स्थित है, पूर्व खसरा संख्या 172 रकबा 125 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई थी, सेंटलमेन्ट के दौरान भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा उपरोक्त खसरा के विभिन्न बट्टा नम्बर बने, जिसमें से खसरा न. 172/77

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर भी अपीलान्ट के पिता खीमा पुत्र वरदा का कब्जा काश्त चला आ रहा था, लेकिन सेंटलमेन्ट विभाग द्वारा गलती से उपरोक्त खसरा नम्बर बट्टा के इन्द्राज के दौरान खसरा संख्या 172/77 का इन्द्राज नहीं किया, लेकिन 172 मीन मात्र इन्द्राज किया, जिसके वर्तमान खसरा न. 750 है, जो भूमि अपीलान्ट के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 751 के छिपटी हुई, एक चक में हैं। जिस पर अपीलान्ट व उसके सहखातेदारों का पूर्वजों के समय से आज दिन तक कब्जा काश्त है। जिस कृषि भूमि को इन्दा पुत्र गला को नियम विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1789 के जरिये आवंटित की गई। प्रकरण में आवंटी ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं की, क्योंकि आवंटन के वर्ष में आदि भूमि पर व दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त होना आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) व 14 (8) के अनुसार आज्ञापक है। आवंटनशुदा भूमि का मौके पर अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं हैं। क्योंकि आवंटन शुदा भूमि के शामिल ही, अपीलान्ट की संयुक्त शामलात कृषि भूमि खसरा संख्या 751 की कृषि भूमि स्थित है, जो मौके पर खसरा संख्या 751 व 750 की कृषि भूमि एक चक में स्थित है, ऐसी स्थिति में आवंटन शुदा भूमि मौके पर अलग किया जाना संभव नहीं हैं, इस कारण भी आवंटी द्वारा आज दिनांक तक कभी भी आंवटन शुदा भूमि पर काश्त नहीं की हैं, बल्कि आंवटनशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त अपीलान्ट व उसके सहखातेदारों का ही चला आ रहा है। प्रमाण में अपीलान्ट के खातेदारी की जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। आवंटन के पूर्व आवंटन शुदा भूमि को आंवटन करने हेतु न तो विधि विरूद्ध उद्घोषणा की गई, ना ही आवेदन आमंत्रित किये गये तथा बिना प्रोक्लेमेशन के ही उपरोक्त आंवटन किया गया, जो प्रथम दृष्टतया ही अपास्त करने योग्य है। जैर अपीलाधीन आवंटन आदेश इन्दा पुत्र गला मेघवाल के नाम से जारी किया गया। जबकि इस नाम व पते का ग्राम फालना गांव में कोई व्यक्ति नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि जैर अपीलाधीन आवंटन आदेश बेनामी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया होने से कानूनन निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 09.11.2017 को तब हुई हैं, जब मौके पर रेस्पोडेन्ट आये और अपीलान्ट को बताया कि उपरोक्त भूमि पर इस वर्ष से अपीलान्ट व उसके अन्य सहखातेदार काश्त नहीं करें, साथ हीं उपरोक्त भूमि अलग नापकर देने हेतू कहा और यह भी बताया कि अपीलान्ट व उसके सहखातेदार की संयुक्त शामलात के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से खसरा संख्या 750 रेस्पाडेन्ट के पिता को आवंटन हो रखी है, इसलिये इस वर्ष रेस्पाडेन्ट उपरोक्त भूमि को नापकर अलग से कब्जा करेंगे व उस पर काश्त करेंगे तथा उपरोक्त कार्यवाही में अपीलान्ट या सहखातेदार कोई रूकावट या बाधा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उत्पन्न की तो रेस्पोडेन्ट् उसके साथ मारपीट कर तथा झुठे मुकदमें में फंसा देंगे, उपरोक्त कृत्य पर अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पाडेन्ट व उसके पिता का उपरोक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, ऐसी सूरत में उक्त भूमि कैसे आंवटित हो सकती है, तब रेस्पोडेन्ट्स ने जमाबंदी की फोटोप्रति दिखाई, जिस पर अपीलान्ट बाली व पाली जाकर आंवटन आदेश की जानकारी प्राप्त करने हेतू आवेदन किया, जहां से दिनांक 10.11.2017 को आंवटन आदेश जानकारी प्राप्त हुई, इस प्रकार उपरोक्त आंवटन आदेश की जानकारी दिनांक 10.11.2017 को होने व नकल दिनांक 13.11.17 को प्राप्त होने से अवधि मध्य यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा उपखंड अधिकारी बाली एवं पदेन अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश दिनांक 17.05.1989 को ग्राम फालना गांव के खसरा संख्या 750 में 0.24 हैक्टेयर भूमि रेस्पोंडेंट को आवंटित करने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.12.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व उसके सहखातेदार आवंटित भूमि पर वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज है। रेस्पोंडेंट कभी काबिज नहीं रहा। अतः अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित व प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें। साथ ही विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 09.11.2017 को तब हुई हैं, जब मौके पर रेस्पोडेन्ट आये और अपीलान्ट को बताया कि उपरोक्त भूमि पर इस वर्ष से अपीलान्ट व उसके अन्य सहखातेदार काश्त नहीं करें, साथ हीं उपरोक्त भूमि अलग नापकर देने हेतू कहा और यह भी बताया कि अपीलान्ट व उसके सहखातेदार की संयुक्त शामलात के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से खसरा संख्या 750 रेस्पाडेन्ट के पिता को आवंटन हो रखी है, इसलिये इस वर्ष रेस्पाडेन्ट उपरोक्त भूमि को नापकर अलग से कब्जा करेंगे व उस पर काश्त करेंगे तथा उपरोक्त कार्यवाही में अपीलान्ट या सहखातेदार कोई रूकावट या बाधा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उत्पन्न की तो रेस्पोडेन्ट् उसके साथ मारपीट कर तथा झुठे मुकदमें में फंसा देंगे, उपरोक्त कृत्य पर अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पाडेन्ट व उसके पिता का उपरोक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, ऐसी सूरत में उक्त भूमि कैसे आंवटित हो सकती है, तब रेस्पोडेन्ट्स ने जमाबंदी की फोटोप्रति दिखाई, जिस पर अपीलान्ट बाली व पाली जाकर आंवटन आदेश की जानकारी प्राप्त करने हेतू आवेदन किया, जहां से दिनांक 10.11.2017 को आंवटन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा संख्या 750 की सिवायचक आराजी में से अतिक्रमियों को बेदखल कर रेस्पोंडेंट के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 17.05.1989 को भूमि आवंटित की गई तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 750 पर बतौर अतिक्रमी काबिज हो जाने मात्र से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार व ***Locus Standi*** प्राप्त नहीं हैं। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

4. साथ ही अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश जो दिनांक 17.05.1989 को पारित किया गया, के विरूद्ध दिनांक 15.12.2017 को लगभग 28 वर्ष 7 माह अर्थात 10430 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई तथा विलंब के कारण के रूप में अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उसे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.11.2017 को हुई, पूर्णतया भ्रामक, मनगढ़ंत व काल्पनिक कथन है। जो विश्वास योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित कारण दर्शित नहीं किए हैं तथा न ही दिन–प्रतिदिन के विलंब के लिए कोई कारण दर्शाया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफीयोग्य नहीं हैं।

1. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

2. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **10430 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **10430 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली